न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
447 / 2021	21.12.2021	27.07.2023

उनवान

1. गोपीचन्द पुत्र रामजीवन जाति अहीर निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना।

वादी।

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र काशीराम जाति अहीर
2. मनोज पुत्र श्रीराम जाति अहीर
3. महेन्द्र पुत्र श्रीराम जाति अहीर
4. रेवती पत्नी श्रीराम जाति अहीर
5. सुभाष पुत्र श्रीराम जाति अहीर
6. कमला पुत्री बलवंत जाति अहीर
7. कलावती पत्नी बलवंत जाति अहीर
8. गजेन्द्र पुत्र लालचन्द जाति अहीर
9. जगराम यादव पुत्र प्रभाती जाति अहीर
10. नारायणी पत्नी लालचन्द जाति अहीर
11. बिमला पुत्री बलवंत जाति अहीर
12. मंजू पुत्री लालचन्द जाति अहीर
13. महराज पुत्र प्रभाती जाति अहीर
14. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र प्रभाती जाति अहीर
15. राजेश यादव पुत्र प्रभाती जाति अहीर
16. रामपाल पुत्र बलवंत जाति अहीर
17. विनोद पुत्र बलवंत जाति अहीर
18. शारदा पुत्री बलवंत जाति अहीर
19. संतोष पुत्री प्रभाती जाति अहीर
20. सावत्री पुत्री प्रभाती जाति अहीर
21. हंसराज पुत्र बलवंत जाति अहीर
22. फूलवती पत्नी भूपसिंह जाति अहीर निवासीयान समस्त ग्राम महतवास तह. नीमराना।
23. उपपंजीयक,मांढ़ण।
24. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, नीमराना।

प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक, तकसीम आराजी एवं हु.इ.दवामी।
अंतर्गत धारा,53,188 आर0टी0एक्ट0।

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 हाल 890 / 0.19,130 / 0.60,638 / 0.26,640 / 0.26,1514 / 0.50,1508 / 0.11,1544 / 0.05,1555 / 0.05,698 / 0.16,905 / 0.25 है0 वाके ग्राम महतावास तह0 नीमराना के वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जेकाश्त की खातेदारी की बिना बंटी हुई कृषि भूमि है। जिसमे मिन वादी का आराजी ख.नं. 890 मे 1 / 3 भाग व ख.नं. 130 मे 1 / 6 भाग व ख.नं. 638,640 मे 1 / 3 भाग व ख.नं. 1508,1514,1544,1555,698,905 मे 1 / 3 भाग का तथा शेष हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के प्रतिवादी सं. 01 लगा. 22 का है। उक्त संयुक्त आराजी मुतनाजा पर वादी व प्रतिवादीगण काबिज रहकर बिना किसी व्यवधान के उपयोग,उपभोग करते आ रहे है। लेकिन अब प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

सं. 01 लगा. 22 आपस मे साज बाज हो कर वादी की वृद्धता का व अकेलेपन का नाजायज रूप से फायदा उठाने की मंशा से अच्छी से अच्छी आराजी पर जबरन कब्जा कर कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करने उसे दिगर लोगों को अपनी मर्जी से मुतकिल करने की फिराक मे है। दिनांक 15.12.2021 को मिन वादी विवादित आराजी पर काश्त की गई फसल की सार संभाल कर रहा था,तब भी प्रतिवादी सं. 01 लगा. 22 मौके पर आये तथा आते ही मिन वादी को बेदखल करने की धमकी दी। इस पर मिन वादी ने आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासमा कराने के लिए कहा तो साफ इंकार हो गए व धमकी दी की उक्त विवादित आराजी के अच्छे से अच्छे भाग पर जबरन कब्जा कर दिगर लोगों को बेचान करेगे। इस कारण अब संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नही है। इसलिए वादी को यह वाद पेश करना लाजिम आया है।

2. अंत मे वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना कि है:–
(क) डिक्री विभाजन कृषि भूमि बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जावे कि आ.ख.न. 890 / 0.19,130 / 0.60,638 / 0.26,640 / 0.26,1514 / 0.50,1508 / 0.11,1544 / 0.05,1555 / 0.05,698 / 0.16,905 / 0.25 है0 वाके ग्राम महतावास तह0 नीमराना का मौके पर अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी भूमि का मुताबिक हिस्सा के कुर्रे कायम कर अलग से हाल राजस्व रिकॉर्ड मे नक्शा ट्रेस मे तितम्मा काटा जाकर अलग से खातावंदी की जावे। राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे।
(ख) प्रतिवादीगण को जरिए हुक्म ईम्तनाइ दवामी पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजी जब तक विधिवत रूप से तकासमा ना हो जावे तब तक मौके व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखे।
(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण दिलाया जावे।
(घ) अन्य अनुतोष जो बय नजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाया जावे ।

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया बाद तामिल प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुए। लिहाजा उनके विरूद्व दिनांक 09.11.2022 करे उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

4. वादी ने अपने वाद की पुष्टि मे नकल जमाबन्दी सं. 2074–77 ग्राम महतावास तह नीमराना की है जो वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है।

5. वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 21.02.2023 को वाद प्रारभिंक डिक्री किया जाकर तहसीलदार,नीमराना को मौके पर कुर्रे कायम कर कुर्रे कामयी रिपोर्ट भिजवाने के आदेश दिये गये। नयाब तहसीलदार,मॉढण ने अपने पत्र कमांक भू0अ0 / 2023 / 400 दिनांक 21.07.2023 के द्वारा कुर्रे कायम कर कुर्रे कामयी रिपोर्ट भिजवाई गई, जो सामिल पत्रावली की जाकर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई वकील वादी ने कुर्रे कायमी रिपोर्ट के अनुसार ही वाद को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। इसलिए वाद वादी कुर्रे कायमी रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

6. अतः आदेश है कि:–

वाद वादी बाबत तकासमा आराजी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के समुंख अंकित आराजी वाके ग्राम महतावास तह.नीमराना उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	वि0वि0
1.	1. कमला पुत्री बलवंत हिस्सा 1 / 35 अहीर सा0देह खातेदार।	130 / 1	0.50	बा.02

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

	2. कलावती पत्नी बलवत हिस्सा 1/35 अहीर सा0देह खातेदार 3. गजेन्द्र पुत्र लालचन्द हिस्सा 1/35 अहीर सा0देह खातेदार 4. जगराम यादव पुत्र प्रभाती हिस्सा 3/35 अहीर सा0देह खातेदार। 5. नारायणी पत्नी लालचन्द हिस्सा 1/35 अहीर सा0देह खातेदार। 6. बिमला पुत्री बलवत हिस्सा 1/35 अहीर सा0देह खातेदार 7. मंजू पुत्री लालचन्द हिस्सा 1/35 अहीर सा0देह खातेदार 8. मनोज कुमार पुत्र श्रीराम हिस्सा 1/20 अहीर सा0देह खातेदार 9. महेन्द्र पुत्र श्रीराम हिस्सा 1/20 अहीर सा0देह खातेदार 10. महाराम पुत्र प्रभाती हिस्सा 3/35 अहीर सा0देह खातेदार 11. रेवती देवी पत्नी श्रीराम हिस्सा 1/20 अहीर सा0देह खातेदार 12. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र प्रभाती हिस्सा 3/35 अहीर सा0देह खातेदार 13. राजेश यादव पुत्र प्रभाती हिस्सा 3/35 अहीर सा0देह खातेदार 14. रामपाल पुत्र बलवत हिस्सा 1/35 अहीर सा0देह खातेदार 15. विनोद पुत्र बलवंत हिस्सा 1/35 अहीर सा0देह खातेदार 16. शारदा पुत्री बलवंत हिस्सा 1/35 अहीर सा0देह खातेदार 17. संतोष पुत्री प्रभाती हिस्सा 3/35 अहीर सा0देह खातेदार 18. सुभाष पुत्र श्रीराम हिस्सा 1/20 अहीर सा0देह खातेदार 19. सावित्री पुत्री प्रभाती हिस्सा 3/35 अहीर सा0देह खातेदार 20. हंसराज पुत्र बलवंत हिस्सा 1/35 अहीर सा0देह खातेदार			
2.	1. ओमप्रकाश पुत्र काशीराम हिस्सा संपूर्ण जात अहीर सा0देह ।	890/1	0.06	चाही प्रथम
3.	1. फूलवती पत्नी भूपसिंह हिस्सा 1/3 अहीर सा0देह खातेदार 2. मनोज कुमार पुत्र श्रीराम हिस्सा 1/6 अहीर सा0देह खातेदार 3. महेन्द्रसिंह पुत्र श्रीराम हिस्सा 1/6 अहीर सा0देह खातेदार 4. रेवती देवी पत्नी श्रीराम हिस्सा 1/6 अहीर सा0देह खातेदार 5. सुभाष पुत्र श्रीराम हिस्सा 1/6 अहीर सा0देह खातेदार	638 640	0.26 0.26	बा0दो0 बा0दो0
		किता 02	रकबा 0.52	
4.	1. गोपीचन्द पुत्र रामजीवन हि0 संपूर्ण अहीर सा0देह खातेदार	130/2 890/2 1508 1514/2	0.10 0.13 0.11 0.36	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

		किता 05	रकबा 0.76	
5.	1. कमलावती पत्नी बलवंत सिंह हिस्सा 3733/22750 अहीर साकिन खातेदार 2. मनोज कुमार पुत्र श्रीराम हिस्सा 2767/20000 अहीर साकिन खातेदार 3. महेन्द्रसिंह पुत्र श्रीराम हिस्सा 2767/20000 4. रामी देवी पत्नी श्रीराम हिस्सा 2767/20000 5. रामपाल सिंह पुत्र बलवंतसिंह हिस्सा 3733/22750 अहीर साकिन खातेदार 6. विनोद पुत्र बलवंतसिंह हिस्सा 3733/22750 अहीर साकिन खातेदार 7. सुभाष पुत्र श्रीराम हिस्सा 2767/20550 अहीर साकिन खातेदार 8. हंसराज पुत्र बलवंत सिंह हिस्सा 3733/22750 अहीर साकिन खातेदार	1614/1 1588 1589 606 605	0.14 0.09 0.09 0.16 0.24	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
		किता 05	रकबा 0.66	

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में पृथक पृथक खाता व लगान कायम कर अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है,खर्चा बाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा हो कर दाखिल लेखा भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/7/2023

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
447 / 2021	21.12.2021	27.07.2023

उनवान

1. गोपीचन्द पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना।

वादी।

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र काशीराम जाति अहीर
2. मनोज पुत्र श्रीराम जाति अहीर
3. महेन्द्र पुत्र श्रीराम जाति अहीर
4. रेवती पत्नी श्रीराम जाति अहीर
5. सुभाष पुत्र श्रीराम जाति अहीर
6. कमला पुत्री बलवंत जाति अहीर
7. कलावती पत्नी बलवंत जाति अहीर
8. गजेन्द्र पुत्र लालचन्द जाति अहीर
9. जगराम यादव पुत्र प्रभाती जाति अहीर
10. नारायणी पत्नी लालचन्द जाति अहीर
11. बिमला पुत्री बलवंत जाति अहीर
12. मंजू पुत्री लालचन्द जाति अहीर
13. महराज पुत्र प्रभाती जाति अहीर
14. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र प्रभाती जाति अहीर
15. राजेश यादव पुत्र प्रभाती जाति अहीर
16. रामपाल पुत्र बलवंत जाति अहीर
17. विनोद पुत्र बलवंत जाति अहीर
18. शारदा पुत्री बलवंत जाति अहीर
19. संतोष पुत्री प्रभाती जाति अहीर
20. सावत्री पुत्री प्रभाती जाति अहीर
21. हंसराज पुत्र बलवंत जाति अहीर
22. फूलवती पत्नी भूपसिंह जाति अहीर निवासीयान समस्त ग्राम महतवास तह. नीमराना।
23. उपपंजीयक,मांढण।
24. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, नीमराना।

प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक, तकसीम आराजी एवं हु.इ.दवामी।
अंतर्गत धारा,53,188 आर0टी0एक्ट0।

दिनांक: 27.07.2023

<u>पर्चा डिक्री</u>

ड अधिकारी
ना (अलवर)

वाद वादी बाबत तकासमा आराजी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी वाके ग्राम महतावास तह नीमराना उनके कब्जो काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	कि0कि0
1.	1. कमला पुत्री बलवंत हिस्सा 1/35 अहीर सा0देह खातेदार। 2. कलावती पत्नी बलवंत हिस्सा 1/35 अहीर सा0देह खातेदार 3. गजेन्द्र पुत्र लालचन्द हिस्सा 1/35 अहीर सा0देह खातेदार 4. जगराम यादव पुत्र प्रभाती हिस्सा 3/35 अहीर सा0देह खातेदार। 5. नारायणी पत्नी लालचन्द हिस्सा 1/35 अहीर सा0देह खातेदार। 6. बिमला पुत्री बलवंत हिस्सा 1/35 अहीर सा0देह खातेदार 7. मंजू पुत्री लालचन्द हिस्सा 1/35 अहीर सा0देह खातेदार 8. मनोज कुमार पुत्र श्रीराम हिस्सा 1/20 अहीर सा0देह खातेदार 9. महेन्द्र पुत्र श्रीराम हिस्सा 1/20 अहीर सा0देह खातेदार 10. महाराम पुत्र प्रभाती हिस्सा 3/35 अहीर सा0देह खातेदार 11. रेवती देवी पत्नी श्रीराम हिस्सा 1/20 अहीर सा0देह खातेदार 12. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र प्रभाती हिस्सा 3/35 अहीर सा0देह खातेदार 13. राजेश यादव पुत्र प्रभाती हिस्सा 3/35 अहीर सा0देह खातेदार 14. रामपाल पुत्र बलवंत हिस्सा 1/35 अहीर सा0देह खातेदार 15. विनोद पुत्र बलवंत हिस्सा 1/35 अहीर सा0देह खातेदार 16. शारदा पुत्री बलवंत हिस्सा 1/35 अहीर सा0देह खातेदार 17. संतोष पुत्री प्रभाती हिस्सा 3/35 अहीर सा0देह खातेदार 18. सुभाष पुत्र श्रीराम हिस्सा 1/20 अहीर सा0देह खातेदार 19. सावित्री पुत्री प्रभाती हिस्सा 3/35 अहीर सा0देह खातेदार 20. हंसराज पुत्र बलवंत हिस्सा 1/35 अहीर सा0देह खातेदार	130/1	0.50	बा.02
2.	1. ओमप्रकाश पुत्र काशीराम हिस्सा संपूर्ण जात अहीर सा0देह ।	890/1	0.06	चाही प्रथम
3.	1. फूलवती पत्नी भूपसिंह हिस्सा 1/3 अहीर सा0देह खातेदार 2. मनोज कुमार पुत्र श्रीराम हिस्सा 1/6 अहीर सा0देह खातेदार 3. महेन्द्रसिंह पुत्र श्रीराम हिस्सा 1/6 अहीर सा0देह खातेदार 4. रेवती देवी पत्नी श्रीराम हिस्सा 1/6 अहीर सा0देह खातेदार 5. सुभाष पुत्र श्रीराम हिस्सा 1/6 अहीर सा0देह खातेदार	638 640	0.26 0.26	बा0दो0 बा0दो0

		किता 02	रकबा 0.52	
4.	1. गोपीचन्द पुत्र रामजीवन हि0 संपूर्ण अहीर सा0देह खातेदार	130/2 890/2 1508 1514/2	0.10 0.13 0.11 0.36	
		किता 04	रकबा 0.70	
5.	1. कलावती पत्नी बलवंत सिंह हिस्सा 3733/45500 अहीर सा0देह खातेदार 2. मनोज कुमार पुत्र श्रीराम हिस्सा 2767/26000 अहीर सा0देह खातेदार 3. महेन्द्रसिंह पुत्र श्रीराम हिस्सा 2767/26000 4. रेवती देवी पत्नी श्रीराम हिस्सा 2767/26000 5. रामपाल सिंह पुत्र बलवंतसिंह हिस्सा 3733/22750 अहीर सा0देह खातेदार 6. विनोद पुत्र बलवंतसिंह हिस्सा 3733/22750 अहीर सा0देह खातेदार 7. सुभाष पुत्र श्रीराम हिस्सा 2767/26000 अहीर सा0देह खातेदार 8. हंसराज पुत्र बलवंत सिंह हिस्सा 3733/22750 अहीर सा0देह खातेदार	1514/1 1544 1555 698 905	0.14 0.05 0.05 0.16 0.25	बा0 01 बा. 01 बा. 01 बा0 02 चाही 1
		किता 05	रकबा 0.65	

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है,खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा।

27/7/2023

मुकुन्द सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)